कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-॥), उत्तर प्रदेश, ऑडिट भवन, टी.सी.-35, V-1, विभूति खंड, लखनऊ-226 010

सं.प्र.म.ते. (ते.प.-II)/प्रशा./Strike/F. No. A-11/Vol. I/ 58

दिनांक .05.2025 16.05.2025

कार्यालय आदेश

सी.ए.जी. मुख्यालय द्वारा पत्र संख्या-170-स्टाफ (जे.सी.एम.)/17-2025 दिनांक 05.05.2025 के माध्यम से, आल इंडिया ऑडिट एंड एकाउंट्स एसोसिएशन द्वारा दिनांक 20.05.2025 को आवाह्वान की गई देशव्यापी हड़ताल के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय एवं शाखा कार्यालय, प्रयागराज में तैनात सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा, यदि किसी भी रूप में उक्त हड़ताल में सम्मिलित होकर कार्यालय के कार्य में बाधा उत्पन्न की जाती है या कार्यालय मर्यादा के प्रतिकूल कार्य किया जाता है तो उनके विरुद्ध केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 1964 के प्रावधानों तथा मूल नियम 17 तथा 17-ए के अधीन कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।

इस सम्बन्ध में कार्यालय के सभी नियंत्रक अधिकारियों से अपेक्षित है कि वह उनके समन्वय/विंग/अनुभागों में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित मुख्यालय द्वारा वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप (प्रति संलग्न) में प्रशासन अनुभाग को दिनांक 21.05.2025 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Office Order

Vide letter no. 170-Staff (JCM)/17-2025 dated 05.05.2025, The CAG Headquarters has informed about the nationwide strike call given by the IA&AD association on 20.05.2025. In this regard, all officers and employees posted in this office and Brach Office, Prayagraj are informed that, if they participate in the said strike in any form and cause hindrance in the work of the office or if any act is done contrary to the office decorum, action will be proposed against them under the provisions of Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 and Fundamental Rules 17 and 17-A.

In this regard, all the Controlling Officers of the Office are required to ensure that the information desired by the Headquarters regarding the officers/employees posted in their coordination/wings/sections is mandatorily made available to the Administration Section in the prescribed format (per attachment) by 21.05.2025.

— ८ (ता , — वरिष्ठ उपमहालेखाकार/प्रशासन

सं.प्र.म.ले. (ले.प.-॥)/प्रशा./Strike/F. No. A-11/Vol. ॥ १ १ - 42-6 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित:

दिनांक .05.2025 (6 0 5 · 2 0 2 5

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार

2. समस्त समूह अधिकारी, (ए.एम्.जी.॥, ए.एम्.जी.॥, ए.एम्.जी.।)

- 3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ ए.एम्.जी.॥, ए.एम्.जी.॥।, ए.एम्.जी.॥∨ कंट्रोल
- 4. विरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ समस्त अनुभाग (विधिक प्रकोष्ठ/सामान्य प्रशासन/पी.सी./प्रतिवेदन-PSU/Non-PSU/राजस्व/आई.टी.ए./DC& RA/एन.आर.ए. प्रकोष्ठ/हिंदी/आई.टी.)।
- √5. विरष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आई.टी. सेल को इस आशंय के साथ प्रेषित कि कार्यालय आंदेश की प्रति Office Website पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
 - 6. शाखा कार्यालय, प्रयागराज ।
 - 7. सूचना पट्ट
 - ८. गार्ड फाइल।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन

Annexure

Category of	PIP in the	No. of	No. of	Name of the	No. of
the	Category	persons	persons	Association/Federation	employees
employee		absent on	absent with	to which the employee	(Category
	9	20 th May	the moto of	(s) is/are enrolled	wise) given
		2025	taking part		Dies-Non
			in the strike		
			on 20 th May		
			2025		